राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रधान कार्यालय नई दिल्ली – 110003

सहायक प्रबंधक (स्केल I) की भर्ती

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अवधि – 02.03.2019 से 28.03.2019

(यह विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबलिंक www.nhb.org.in पर उपलब्ध है)

विज्ञापन सं.– रा.आ.बैंक/ मा.स. एवं प्रशासन/भर्ती/2019/01

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) संसद के एक अधिनियम, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत वर्ष 1988 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। रा.आ.बैंक का अधिदेश आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करना है। रा.आ.बैंक आवास वित्त क्षेत्र हेतु वित्तीय एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से देश में एक मजबूत और स्थिर आवास वित्त प्रणाली की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। रा.आ.बैंक खासतौर पर निम्न आय आवास श्रेणी हेतु अभिनव बाजार आधारित समाधानों के विकास और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

बैंक एक अधिकारी उन्मुख एवं व्यावसायिक रूप से प्रबंधित संस्थान है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और साथ ही मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरु, हैदराबाद, और कोलकाता में कार्यालय हैं। बैंक अपने कार्यकलापों में अनुसंधान, विश्लेषण तथा समसामायिक कार्य व्यवहार एवं तकनीकी को अंगीकार कर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना चाहता है। बैंक ने कई उत्कृष्ट पहलें की हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकृष्ट किया है। बैंक योग्य, ऊर्जावान, ईमानदार पुरूषों एवं महिलाओं के लिए एक आधुनिक, अनुकूल, व्यावसायिक कार्य वातावरण प्रदान करता है।

नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड (स्केल I) में सहायक प्रबंधकों के पद को भरने हेतु प्रतिभाशाली, प्रतिबद्ध एवं ऊर्जावान अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. आवेदन का तरीका:

अभ्यर्थी **दिनांक 02.03.2019 से 28.03.2019** तक रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। **आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।**

2. महत्वपूर्ण तिथि/माह:

विषय	अनंतिम तिथियां/माह
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान	**02.03.2019 से 28.03.2019 (दोनों दिवस शामिल हैं)**
ऑनलाइन परीक्षा हेतु ई-कॉल लेटर को डाउनलोड करना	परीक्षा से 10 दिन पहले
ऑनलाइन परीक्षा	**21.04.2019 (रविवार)**
ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम	अप्रैल/मई 2019
साक्षात्कार हेतु ई-कॉल लेटर को डाउनलोड करना	मई 2019
साक्षात्कार	मई/जून 2019
अंतिम परिणाम की घोषणा	जून/जुलाई 2019

बैंक के पास उपरोक्त अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी हेतु रा.आ.बैंक की वेबसाइट के अलावा नियमित आधार पर अपना पंजीकृत ई-मेल देखते रहें।

3. रिक्तियों की संख्या

पद	रिक्तियों की संख्या					
सहायक प्रबंधक (स्केल I)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व^	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल
	01	01	05	01	07	15

अ.ज.: अनुसूचित जातियां; अ.ज.जा: अनुसूचित जनजातियां; अ.पि.व: अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

^'नॉन क्रीमी लेयर' से संबंध रखने वाले अ.पि.व. के अभ्यर्थी अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण के हकदार हैं। 'क्रीमी लेयर' वाले अ.पि.व अभ्यर्थी अपनी श्रेणी को 'सामान्य' श्रेणी के रूप में दर्शाएं।

15 रिक्तियों में से 4 रिक्तियां निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षित हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियां				
दृष्टिबाधित	श्रवण बाधित	गतिविषयक दिव्यांगता	बौद्धिक अक्षमता / बहु-दिव्यांगता	कुल
01	02	0	01	04

दृ.दि:दृष्टिबाधित (नेत्रहीनता एवं अल्प दृष्टि);श्र.दि:श्रवण बाधित(बधिर या कम सुनने वाला): ग.दि: गतिविषयक दिव्यांगता (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीडित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीडित तथा मांसपेशीय दुर्विकास); बौ.अ: बौद्धिक अक्षमता; (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता); ब.दि.: बहु–दिव्यांगता (बधिर एवं कम सुनने वाले सहित दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित तथा गतिविषयक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों में से);

ऊपर दिए गए पदों की कुल संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तिवक जरूरत के आधार पर यह बढ़/घट सकती है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक जरुरत को पूरा करने के लिए ऐसी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार है।

4. पात्रता

4.1 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

(i) भारत का नागरिक हो या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भूटान की प्रजा हो, या

(iv) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई रुप से बसने की इच्छा से (1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गये हों), या

(v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजान्यिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो,

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) एवं (v) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.2 आयु सीमा (यथा 01.03.2019 को)

यथा 01.03.2019 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं अर्थात अभ्यर्थी 02.03.1991 से पहले और 01.03.1998 (दोनों दिवस शामिल हैं) के बाद जन्म नहीं लिया हो।

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	आयु में छूट
4.2 (क)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
4.2 (ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
4.2 (ग)	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत यथा परिभाषित दिव्यांगजन	दिव्यांगजन (सामान्य) – 10 वर्ष दिव्यांगजन (अजा/अजजा) – 15 वर्ष दिव्यांगजन (अपिव) – 13 वर्ष
4.2 (घ)	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग के अधिवासी रहे हों	5 वर्ष
4.2 (ड.)	भूतपूर्व सैनिक (ईसीओ/एसएससीओ सहित) बशर्ते आवेदकों ने कम से कम 5 वर्ष सैन्य सेवा प्रदान की हो और कार्यभार (इनमें वे भी शामिल है जिनका कार्यभार 6 महीने के अंदर पूरा होने वाला हो) पूरा करने पर सेवामुक्त किए गए हों। इसके अलावा दुराचरण या अकुशलता के कारण बर्खास्त नहीं किए गए हों या शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त किया गया हो या सैन्य सेवा से शारीरिक दिव्यांगता या अशक्तता के कारण सेवामुक्त किया गया हो। ऐसे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने सैन्य सेवा की अपने पाँच वर्ष का कार्यभार की अवधि पूरा कर ली हो लेकिन उसका कार्य पाँच साल के बाद बढ़ा दिया गया हो और ऐसे मामले जिसमें रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि चयन होने पर वे नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर सेवामुक्त कर दिए जाएंगे।	5 वर्ष

नोट:

i. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ऊपर 4.2. (घ) के तहत आयु में छूट के लिए पात्र है उन्हें साक्षात्कार के समय/उसके बाद की प्रक्रिया के किसी भी चरण में कश्मीर डिवीजन के जिला न्यायाधीश जिनके विशेषाधिकार क्षेत्र में वे साधारणतया निवास करते हैं या अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन के अधिवासी हों उनके लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नामांकित किसी अन्य प्राधिकारी से निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

ii. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें दिए गए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य हेतु उनके भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाती है।

iii. बिंदु 4.2 (ग) में आयु सीमा में दी गयी छूट सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचयी आधार पर अनुमत्य होगी।

iv. ऐसे अभ्यर्थी जो आयु में छूट चाह रहे हैं उन्हें बैंक की अपेक्षा अनुसार साक्षात्कार के समय/भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र के साथ उसकी छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

v. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

4.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (यथा 01.03.2019 को)

शैक्षणिक योग्यता	अर्हता पश्चात अनुभव	अपेक्षित व्यापक कुशलता
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी विषय में पूर्ण कालिक स्नातक डिग्री (अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के मामले में 55%) अथवा न्यूनतम 55% अंकों (अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के मामले में 50%) के साथ किसी विषय में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता। चार्टर्ड एकाउंटेंट/आईसीडब्लूएआई/कंपनी सचिव की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी के पास मान्य अंक पत्र/ डिग्री प्रमाणपत्र / व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें उल्लिखित हो कि वह 01.03.2019 के अनुसार स्नातक / स्नातकोत्तर / चार्टर्ड एकाउंटेंट/ आईसीडब्लूएआई / कंपनी सचिव (जहां भी लागू हो) है और स्नातक / स्नातकोत्तर / व्यावसायिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंगित हो।	हालांकि किसी पूर्व अनुभव की आवश्कता नहीं है, पर संबंधित अनुभव वाले को वरीयता दिया जाएगा।	संपर्क कौशल लिखित व मौखिक, आर्थिक परिदृश्य की विश्लेषणात्मक क्षमता व सामान्य समझ।

नोट:

i. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

ii. उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से होनी चाहिए।

iii. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के निकटतम दो दशमलव को दर्शाने होंगे। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों ने समग्र ग्रेड प्वाइंट (अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए आदि) दिए हों तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्रग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम एवं उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए।

iv. प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंको को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे। यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहां वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंको पर आधारित हो। इस तरह निकाले गए प्रतिशत में अपूर्णांक को नजरअंदाज किया जाएगा, जैसे 59.99% को 60% से कम समझा जाएगा; 54.99% को 55% से कम समझा जाएगा और 49.99% को 50% से कम समझा जाएगा।

4.4 निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षण

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत केवल निर्धारित दिव्यांगजन ही आरक्षण हेतु पात्र हैं।

<u>नोट:</u>

i. निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" के अनुसार होगी।

ii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी से हो सकते हैं अर्थात सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस। निर्धारित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण समस्तरीय हैं और इस पद हेतु कुल रिक्तियों के भीतर हैं।

iii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के माध्यम से निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की बैंक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णय अनुसार जांच/पुन: जांच की जा सकती है।

<u>लेखक का उपयोग एवं प्रतिपूरक समय:</u>

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से प्रतिकूल तरीके से हमेशा के लिए प्रभावित हुई है वे ऑनलाइन परीक्षा के समय अपने खर्च पर अपने खुद के लेखक का उपयोग कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जहां लेखक का इस्तेमाल जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

i. अभ्यर्थी को अपने निजी खर्च पर अपने लेखक का प्रबंध करना होगा।

ii. अभ्यर्थी और लेखक दोनों को परीक्षा के समय लेखक के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त वचनपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बाद में यह पाया जाता है कि यदि उन्होंने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को दबाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी क्यों न हो।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट या अन्य यथासूचित प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

iv. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए लेखक ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पात्र हैं और परीक्षा में लेखक की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सावधानीपूर्वक इस बात का उल्लेख करना होगा। बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

v. केवल प्रतिपूरक समय हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसे छूट की अनुमति होगी क्योंकि अभ्यर्थी को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, यदि उन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं करवाया है तो परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए इस समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिपूरक समय हेतु पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

vi. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित सहित चालन संबंधी दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश- चालन संबंधी दिव्यांगता एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट या अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी जहां लिखने कार्य निष्पादन के धीमा होने की सीमा (न्यूनतम 40% की हानि) तक प्रभावित होती है।

vii. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश–

क) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40 % से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने के विकल्प को चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट या परीक्षा में अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे।

ख) जो दृष्टि बाधित अभ्यर्थी परीक्षा हेतु लेख की सेवा का उपयोग करते हैं उन्हें बड़े फॉन्ट में परीक्षा की सामग्री को देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

viii. बौद्धिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश–

40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता) वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा चाहे वे लेखक की सेवा का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं।

ix. कोई भी अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग कर रहे हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार परीक्षा में लेखक के उपयोग हेतु पात्र हैं। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त दिशा-निर्देश के उल्लंघन में लेखक का उपयोग करता है उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि उन्होंने बैंक की सेवा ग्रहण कर ली है तो बिना किसी नोटिस के सेवा से निकाला जा सकता है।

x. नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के दिनांक 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं 16-110/2003 - डीडी III के दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को लेखक का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

*अगले पृष्ठ पर जारी

* पिछले पृष्ठ से जारी

4.5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-(आ.) के अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी:-

ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ही केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

i. जिला न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / अनुमंडल न्यायाधीश/ तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो।

iv. अनुमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां आमतौर पर अभ्यर्थी और/या उसका परिवार निवास करता है।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

5. चयन प्रक्रिया

पद के लिये चयन दो चरण प्रक्रिया यथा ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार, द्वारा की जाएगी।

चरण 1 : ऑनलाइन परीक्षा

ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों प्रकार की परीक्षा होगी।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 200 अंक होंगे, समय 3 घंटा और उसमें 4 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड के लिये अलग समय निर्धारित होगा। ऑनलाइन परीक्षा की संरचना निम्नानुसार होगी:

क्रं. सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की सं.	अधिकतम अंक	परीक्षा माध्यम	प्रत्येक खण्ड के लिए नियत समय (पृथक समय)	परीक्षा की किस्म
1	तर्कशक्ति एवं कंप्यूटर अभिरुचि	45	60	अंग्रेजी व हिन्दी	60 मिनट	वस्तुनिष्ठ
2	सामान्य जानकारी (अर्थव्यवस्था व बैंकिंग पर विशेष ध्यान) तथा कंप्यूटर ज्ञान	50	50	अंग्रेजी व हिन्दी	40 मिनट	
3	अंग्रेजी भाषा	25	30	अंग्रेजी	35 मिनट	
4	संख्यात्मक अभिरुचि (डाटा विश्लेषण व व्याख्या पर विशेष ध्यान)	35	60	अंग्रेजी व हिन्दी	45 मिनट	
	कुल	155	200		3 घंटे	
	अंग्रेजी भाषा* (पत्र लेखन तथा निबंध)	02	25	अंग्रेजी	30 मिनट	व्याख्यात्मक

*व्याख्यात्मक परीक्षा 25 अंकों की अंग्रेजी भाषा की परीक्षा है। परीक्षा 30 मिनट की होगी और इसमें दो भाग होंगे एक में पत्र लेखन और दूसरा निबंध। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टाइप करके यह परीक्षा देनी होगी।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा समाप्त होते ही शीघ्र व्याख्यात्मक परीक्षा शुरू हो जाएगी। व्याख्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा अभ्यर्थियों को इसमें निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। व्याख्यात्मक परीक्षा पत्र का मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही किया जाएगा।

बैंक को परीक्षा की प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार है जिसकी सूचना बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक इंफ़ॉर्मेशन हैंडआउट में दी जाएगी जिसे अभ्यर्थियों के लिये प्राधिकृत एनएचबी वेबसाइट www.nhb.org.in से ई-कॉल पत्रों के साथ डाउनलोड करने के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।

गलत उत्तरों के लिये पेनल्टी : वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे जिनमें से कोई एक सही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत चिन्हित उत्तर के लिये पेनल्टी होगी। प्रत्येक गलत चिन्हित उत्तर के लिये, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के एक चौथाई अंक काट कर सही योग ज्ञात होगा। यदि कोई प्रश्न छोड़ दिया जाता है अर्थात अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता तो उस प्रश्न के लिये कोई पेनल्टी नहीं होगी।

अंक

- प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा भिन्न खण्डों में प्राप्त सही योग (यदि हों) को इक्वि-पर्सेन्टाइल विधि से सामान्य किया जाएगा।
- दो दशमलव अंक तक स्कोर को गणना में शामिल किया जाएगा।

कट-ऑफ अंक (ऑनलाइन परीक्षा)

प्रत्येक अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा और साक्षात्कार के लिये चयन करते समय भी न्यूनतम अंकों पर विचार किया जाएगा। व्याख्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रकृति का है और उसमें प्राप्त अंकों पर साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों का चयन करते समय विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी को **व्याख्यात्मक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। व्याख्यात्मक परीक्षा का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त पर ही किया जाएगा।**

उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, कट-आफ का निर्धारण किया जाएगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिये चयन किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार के लिये चयनित अभ्यर्थियों को सूचित नहीं किये जाएंगे।

चरण 2 - साक्षात्कार

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी। साक्षात्कार हेतु चयन करने के लिए न्यूनतम कुल कट-आफ अंकों का निर्णय बैंक द्वारा रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये चयनित अभ्यर्थियों को रोल नम्बर एनएचबी वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाएंगे। साक्षात्कार नई दिल्ली स्थित एनएचबी मुख्य कार्यालय में ही आयोजित किये जाएंगे। साक्षात्कार के लिये समय और दिनांक की सूचना चयनित अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर में दी जाएगी। अभ्यर्थियों को एनएचबी वेबसाइट www.nhb.org.in से अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लेने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तारीख, समय, केन्द्र आदि में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक को किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में, यदि कोई हों, स्व-निर्णयानुसार साक्षात्कार की तारीख/स्थान/ समय/केन्द्र आदि को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी हिन्दी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकता है। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के द्वारा होगा जिसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दी गई परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में सफल होना चाहिए तथा अंतिम चयन सूची में आने के लिये पर्याप्त अधिकाधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।

साक्षात्कार के लिये उपस्थित होते समय, अभ्यर्थी को वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। इन दस्तावेजों की अनुपलब्धता होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

6. परिलब्धियां और सेवा शर्तें

कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I में लागू वेतन मान रुपये 23,700-980/7-30,560-1,145/2-32,850-1,310/7-42,020 में मूल वेतन रुपये 23,700/- प्रति माह से शुरू। **वर्तमान वेतनमान संशोधनाधीन है।** चयनित अभ्यर्थी महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, विशेष डीए, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता, समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार, पाने के हकदार होंगे। वर्तमान में कुल परिलब्धियां रुपये 44,143/- प्रति माह (लगभग) हैं। चयनित

अभ्यर्थी जेएआईआईबी/सीएआईआईबी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

उपरोक्त दिये वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अतिरिक्त, पदानुसार अन्य सुविधाएं जैसे बैंक आवास, जो बैंक के निर्णय और बैंक द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार आवास की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, चिकित्सा/अस्पताल में भर्ती होने, टेलीफोन/मोबाइल प्रभार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक अनुदान, आवासीय साज-सज्जा, सरकारी प्रयोग के लिये वाहन का अनुरक्षण व्यय आदि की पात्रता अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। अन्य लाभ जैसे आवास ऋण, वाहन ऋण, त्यौहार अग्रिम, एलटीसी, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पीएफआरडीए द्वारा संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत नियमानुसार कवरेज मिलते हैं। सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष तक परवीक्षाधीन रहेगा जिसे बैंक के निर्णयानुसार बढ़ाया जा सकता है।

चयनित अभ्यर्थी की किसी भी विभाग में तैनाती और भारत में कहीं भी स्थानान्तरण हो सकता है।

7. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि *
1	एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी	रुपये 100/- (सूचना प्रभार केवल)
2	एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के अतिरिक्त	रुपये 600/- (आवेदन शुल्क व सूचना प्रभार)

***जीएसटी के अलावा**

टिप्पणी : एक बार आवेदन किए जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं एक बार अदा किया गया आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार किसी भी खाते में न वापस किया जाएगा और न ही भविष्य में किसी परीक्षा अथवा चयन हेतु अलग रखा जाएगा। यदि आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार भी वापस नहीं किया जाएगा। बैंक/लेनदेन प्रभार, यदि लागू हो, अभ्यर्थी वहन करेगा। आवेदन शुल्क एवं सूचना प्रभार पर लागू जीएसटी भी अभ्यर्थी वहन करेगा। निर्धारित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवेदनों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क/सूचना प्रभारों का भुगतान इस विज्ञापन में दी गई निर्धारित विधि से ही किया जाए।

8. ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र

ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों की अनंतिम सूची

क्रम सं.	केन्द्रों के नाम
1	अहमदाबाद
2	बैंगलूरू
3	चेन्नै
4	हैदराबाद
5	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता
6	मुम्बई/नवीं मुम्बई/ग्रेटर मुम्बई
7	दिल्ली - एनसीआर

टिप्पणी :

i. बैंक किसी भी केन्द्र को रद्द करने और/ या प्रत्युत्तर के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा आदि के कारण कुछ अन्य केन्द्र को जोड़ने का अधिकार रखता है।

ii. बैंक को अभ्यर्थियों द्वारा चयनित केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य केन्द्र आबंटित करने का भी अधिकार है।

iii. स्थान/तारीख/परीक्ष सत्र को बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में अपने जोखिम और व्यय पर, जो कुछ भी हो, शामिल होंगे, बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। रा.आ. बैंक किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की चोट या नुकसान आदि के लिये भी उत्तरदायी नहीं होगा।

v. अभ्यर्थी द्वारा एक बार चुना गया केन्द्र फाइनल होगा।

vi. यदि अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या 'ऑनलाइन' परीक्षा हेतु विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं तो रा.आ. बैंक के पास उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि अभ्यर्थियों की संख्या केंद्र में ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो रा.आ. बैंक के पास कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

vii. परीक्षा हॉल में किसी भी अभद्र व्यवहार/ दुर्व्यवहार के कारण उम्मीदवारी को रद्द/ उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित तथा आईबीपीएस/राआबैंक द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है।

यदि अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य संस्करण में व्याख्या के कारण कोई विवाद होता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण अभिभावी होगा।

अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थियों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर प्रकाशित भर्ती विज्ञापन को पढ़ने की सलाह दी जाती है।